राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प 1(8)III–बी/निर्वा/2005/ जयपुर, दिनांक

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने पत्रांक 181/2/2005 (PIO) दिनांक 10.10.2005 के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्यालय पर अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है। अपील प्राधिकारी को मुख्यालय पर पदाभिहित जनसूचना अधिकारी (संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी) के निर्णय के विरूद्ध अपील फाइल की जा सकेगी।

भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्र के अनुसरण में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को एतद्द्वारा अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया जाता है। उक्त प्राधिकारी के समक्ष जिला स्तरीय जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील फाइल की जा सकेगी।

Sd
(संगीता गैरोला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प 1(8)III–बी/निर्वा/2005/ 7445 जयपुर, दिनांक 22·10·05

प्रतिलिपिः – निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली।
2. शासन उप सचिव गृह विभाग (ग्रुप – 5) विभाग राजस्थान जयपुर
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर।

सयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान जयपुर।

L.A.27-9-05

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक प.1(8)।।।/बी/निर्वा/2005/ 7389 जयपुर, दिनांकः— 15-x-05

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की पालना में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 181/2/2005(पी.आई.ओ.) दिनांक 15 सितम्बर, 2005 से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जयपुर एवं जिला स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी एव सहायक जन सूचना अधिकारी एतद्द्वारा मनोनीत किया जाता है ।

मुख्यालय स्तर पर —

क्र.सं.	पदनाम	धारित पद
1.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी	जन सूचना अधिकारी
2.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (निर्वाचन)	सहायक जन सूचना अधिकारी

जिला स्तर पर —

क्र.सं.	पदनाम	धारित पद
1.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	जन सूचना अधिकारी
2.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी

आम जन को इस अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाले सूचना इन अधिकारियों द्वारा अपने कार्य के साथ—साथ उपलब्ध करवायी जाएगी ।

(ललित कोठारी),
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक प.1(8)।।।/बी/निर्वा/2005/ जयपुर, दिनांकः—

प्रतिलिपि—

1. शासन उप सचिव,गृह विभाग (ग्रुप—5) विभाग,सचिवालय, जयपुर ।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ।
3. श्री राजेश अग्रवाल, निदेशक(प्रशासन) भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2005 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । ।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।